

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण  
(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)  
पर्यावास भवन, द्वितीय खण्ड पंचम तल, भोपाल

क्रमांक 22254 / 22 / वि-12 / ग्रा.स. / / 2016

भोपाल, दिनांक- 27 अक्टूबर, 2016


प्रति,

समस्त मुख्य महाप्रबंधक,  
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,  
भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, रीवा (म.प्र.)

**Sub- Guidelines for States to become eligible for Financial Incentives for the year 2016-17 under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)-reg.**

भारत सरकार से प्राप्त पत्र की प्रति इसके साथ संलग्न की जा रही है तथा लेख किया जाता है कि आप इसकी सूक्ष्मता से अध्ययन करें तथा सुनिश्चित करें कि मध्यप्रदेश इस 6 प्रतिशत Incentive को प्राप्त करने में प्रथम स्थान प्राप्त कर 6 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि भारत सरकार से प्राप्त कर सके। इस हेतु आपके स्तर पर समस्त महाप्रबंधकों से चर्चा करें इस संबंध में उन्हें भी अवगत कराया जाये तथा इस हेतु निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति हेतु सभी आवश्यक तैयारियां कर किसी भी स्थिति में मध्यप्रदेश को यह राशि प्राप्त करना है, जिसमें आपके तथा महाप्रबंधकों को सहयोग अपेक्षित है।

संलग्न - पत्र की छायाप्रति।


  
27/10  
(एम.के. गुप्ता)  
प्रमुख अभियंता  
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

पृ. क्रमांक 22255 / 22 / वि-12 / ग्रा.स. / / 2016

भोपाल, दिनांक- 27 अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपि-

- 1- मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 2- समस्त महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, म.प्र. की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 3- समस्त महाप्रबंधक (तकनीकी), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
27/10  
(एम.के. गुप्ता)  
प्रमुख अभियंता  
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

No. P-17017/1/2016-RC (FMS No. 347396)  
Government of India  
Ministry of Rural Development  
Department of Rural Development  
(Rural Connectivity Division)

Krishi Bhawan, New Delhi  
Dated the 13<sup>th</sup> October, 2016

To,  
The Principal Secretary/Secretary In-charge of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana of all States

**Subject: Guidelines for States to become eligible for Financial Incentives for the year 2016-17 under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)- reg.**

Sir/Madam,

I am directed to inform that the Ministry, while making indicative allocations to the States at the beginning of the financial year had set aside nearly 6% of the total B.E. for allocation to the better performing States, as financial incentives at the end of the financial year.

2. The Ministry has now decided to provide this incentive to top one-third performing States, which show higher achievement on the basis of set parameters. The parameters and their corresponding weightage decided by the Competent Authority are as under:

Parameters	Weightage
Achievement of Target length of the year	30%
Achievement of Target Habitations of the year	30% (States where no habitations target is assigned, 60% weightage will be given to length)
Length constructed under New Technology during the year	15%
Quality of road (Submission of ATRs of NQMs)	10%
OMMAS data entry	5%
Maintenance policy	10%

3. As mentioned in para 2 above, the performance would be judged on the basis of physical achievement upto December, 2016

Copy to:

1. PPS to Secretary (RD)/PPS to JS (RC)
2. PS to SS & FA/Dir (IFD)
3. Director (RC-PMK)/Dy. Secretary (RC-SR)
4. All Directors of NRRDA
5. Shri Vijay Ingle, Programmer (Technical), NRRDA: With a request to upload this letter on PMGSY's official website.

(Priya Ranjan)  
Director (RC)

Tel No. 011-23382860

D.12  
R-R-D-A  
Speed Post  
ED-489973709-114

Dmp  
ENC

① 690  
② We must cover up  
Berm